II/निग०/रीवा/2017/4859

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल म0प्र0ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, म0प्र0.

53

निगरानी प्रकरण क्र0/ /017

Rs 301

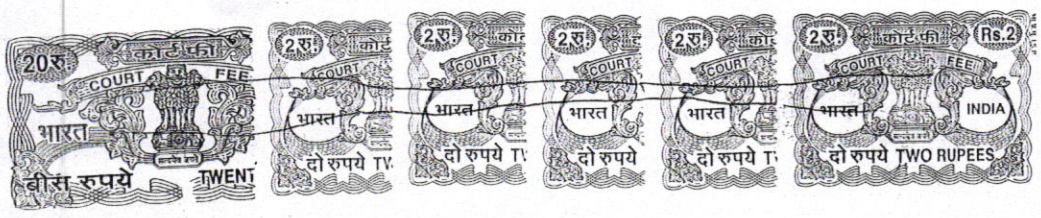

अरूण कुमार मिश्रा तनय स्व0 रामलखन मिश्रा उम्र-54 वर्ष निवासी ग्राम रतहरा, थाना सिटी कोतवाली, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0.

---- आवेदक

बनाम्

बद्री विशाल मिश्रा तनय स्व0रामलाल मिश्रा उम्र-59 साल निवासी ग्राम रतहरा थाना सिटी कोतवाली रीवा, तह0 हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0.

---- अनावेदक

अधि0श्री डी0 पी0 मिश्रा, द्वारा पेश/5-12-17

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार, तह0 हुजूर, जिला रीवा दिनांक 28.10.017 जो प्रकरण क्र0 2/अ-12/17-18 में पारित किया गया ।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959

महोदय,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

{01} यह कि प्रश्नाधीन आदेशअधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है ।

{02} यहकि अनावेदक ने भूमि ख0नं0 497/1 शा0नं0 498 रकबा 0.694है0, स्थित ग्राम रतहरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा का सीमांकन किए जाने बावत् जो आवेदन दियाथा उसआवेदनमें आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया था और न वक्त सीमांकन आवेदक को सूचना ही पटवारी हल्का या राजस्व निरीक्षक द्वारा दी गईथी, जिससे प्रश्नाधीन आदेश अधीनस्थन्यायालय मात्र

DP Mishra

... कर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/4859

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार, हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 2 अ–12/2017–18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 28–10–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में दिये गये कारण विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक के आवेदन देने पर तहसीलदार हुजूर ने राजस्व निरीक्षक वृत्त रीवा गिर्द से ग्राम रहतरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 497/1 एंव 498 का सीमांकन कराया है। सीमांकन के पूर्व मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी की गई है तथा मौके पर ग्रामीणों के समक्ष सीमांकन करते हुये पंचनामा भी तैयार किया जाना परिलक्षित है। आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया है कि वाद विचारित भूमि के सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित कर दी गई है। जिसमें आवेदक का रहवासी मकान एंव मकान की वाउन्ड्री बनी है। तहसील न्यायालय में आवेदक को पक्षकारा बनाये बिना सीमांकन आदेश पारित किया गया है। एकपक्षीय सीमांकन करना गलत है इसलिये सीमांकन आदेश निरस्त किया जावे।	

3/ प्रकरण के अवलोकन से परलिक्षित है कि ग्राम ग्राम रहतरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 497/1 एंव 498 का अनावेदक रिकार्डेड भूमिस्वामी है जिसके कारण इन भूमियों का सीमांकन कराने हेतु वह पात्र है। यदि उक्त भूमियों के सीमांकन से आवेदक स्वयं् की भूमि को प्रभावित होना मानता है वह राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख/ सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं् की भूमियों का सीमांकन ई0टी0एस0एम0 से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण तहसीलदार, हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 2 अ–12/2017–18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 28–10–17 में हस्तक्षेप का औचित्य न होने से निगरानी इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य